संख्या-838/18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 4 लखनऊः दिनांक 10 नवंबर, 2025

विषयः- डाक घर निर्यात केन्द्र सहायता योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता।

महोदय,

राज्य के निर्यातकों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी (अंतिम छोर तक पहुँच) को सुलभ बनाने, निर्यात से जुड़ी लागतों को कम करने, स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान करने, समावेशी व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों की वैश्विक बाजारों तक पहुँच सुश्चित करने के उद्देश्य से डाक घर निर्यात केन्द्रों के माध्यम से कन्साइमेंट भेजने वाले निर्यातकों को शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु "डाक घर निर्यात केन्द्र सहायता" योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो कार्य सम्पादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगे-

(1) योजना के अंतर्गत डाक घर निर्यात केन्द्र के माध्यम से कन्साइनमेंट भेजने वाले निर्यातको को पोस्टेज शुल्क का 75 प्रतिशत, प्रति निर्यातक प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की वित्तीय सहायता अनुमन्य होगीं।

(2) यह प्रतिपूर्ति ₹1 लाख प्रति वर्ष की सीमा अन्तर्गत एक से अधिक शिपमेंट्स (Multiple Shipments) पर लागू होगी, जो डाक निर्यात केन्द्र के माध्यम से भेजी गई हों।

(3) वित्तीय सहायता की गणना शुद्ध डाक शुल्क (Net Postage Amount) के आधार पर की जाएगी, जिसमें केंद्रीय और राज्य GST को शामिल नहीं किया जाएगा।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

(1) योजनान्तर्गत त्रैमासिक आधार पर दावे प्रस्तुत किये जाएगें जिसमें सम्बंधित तिमाही के दौरान डाक निर्यात केन्द्र के माध्यम से भेजे गए शिपमेंट पर हुए कुल डाक शुल्क को जोड़ा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) संबंधित त्रैमास के समाप्त होने के 45 दिवस की अवधि में निर्यातक इकाई निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन दावा करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी।

(4) इकाई द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं संशोधित की जा सकेंगी। उक्त 15 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा।

(5) दावे के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि में परीक्षणोंपरान्त पूर्ण पाये गये दावे एजेंडा में सम्मिलित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।

(6) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखों को अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाईयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(7) अपूर्ण पाये गये दावो की स्थिति में, निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा पुनः परीक्षणोंपरान्त अधिकतम 30 दिनों की अवधि में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ दावा एजेंडा में सम्मिलित किया जायेगा।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	प्रतिनिधि, पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

8. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

9. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

10. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

11. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-838(1)/18-4-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in